न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस
राजस्व विविध प्रकरण सं. Gems No. 2022/185
दायरा तिथि : 25.05.2022
आदेष तिथिः 11-07-22

प्रार्थीगणः–

1. सद्दुलसिंह पुत्र जवारसिंहजी
2. करणसिंह पुत्र जवारसिंहजी
3. गुमानसिंह पुत्र जवारसिंहजी
4. बाबुसिंह पुत्र जवारसिंहजी के कायम मुकाम वारिशानः–
   4/1 मन्जुदेवी पत्नि बाबुसिंहजी
   4/2 कौशलसिंह पुत्र स्व. बाबुसिंहजी
   4/3 गौरवसिंह पुत्र स्व0 बाबुसिंहजी
   4/4 रूचिता पुत्री स्व0 बाबुसिंहजी
5. रतनसिंह पुत्र जवारसिंहजी
6. मदनसिंह पुत्र हीरसिंहजी
7. भरतसिंह पुत्र हीरसिंहजी
8. हनवंतसिंह पुत्र हीरसिंहजी जातिगण राजपुरोहित
   निवासीगण नाना तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

अप्रार्थीगण :–

1. हेमलता रावल धर्मपत्नि जगदीशजी रावल जाति रावल
   निवासी नाना तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
2. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थितिः–

1. श्री हिम्मत धनेरा ..... अभिभाषक प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री विक्रमसिंह सोलंकी .....अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से

–ः आदेश ः– दिनांक : 11-07-22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
सपठित आदेश 39 नियम 01, 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण ने वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के साथ उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 01, 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी प्रस्तुत कर ग्राम नाना तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 360, 362, 363, 389, 390 कुल खसरा–05 कुल रकबा 3.14 हैक्टर के सबंध में इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक जारी किये जाने का निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या–01 जबरदस्ती अतिक्रमण कर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में दखलन्दाजी नहीं करे, तोड फोड नही करे व भूमि आगे से आगे बेचान नहीं करे। तथा अप्रार्थी संख्या–02 को नामान्तरकरण की कार्यवाही से रोका जावे। अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा इसका आधार यह बताया गया कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण 01 लगाय 05 का 1/3 हिस्सा व प्रार्थीगण संख्या 06 लगाय 08 का का 1/3 हिस्सा पुश्तैनी संयुक्त रूप से आया हुआ है। इस पुश्तैनी खातेदारी भूमि पर संयुक्त रूप से प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त हैं। तथा अप्रार्थीगण संख्या–01 का कोई कब्जा काश्त नहीं हैं। अप्रार्थी संख्या–01 ने दिनांक 02.05.2022 को बिना प्रार्थीगण को सूचित किये तथा बिना कानूनी बंटवाडा किये बाले बाले सह खातेदार केशरसिंह से 1/3 हिस्सा खरीद किया है, जबकि संपुर्ण खातेदारी भूमि पर प्रार्थीगण का कई वर्षो से कब्जा काश्त हैं। वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त प्रार्थीगण का है तथा अप्रार्थी संख्या–01 एक अजनबी व्यक्ति ने वादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की पुश्तैनी भूमि मेंसे 1/3 हिस्सा बिना कब्जा प्राप्त किये बिना बंटवाडे खरीद किया है तथा पुनः अन्य लोगो को यानि अजनबी व्यक्तियो को भी बेचान करने की धमकी देते हैं तथा अप्रार्थी संख्या–01 बिना कब्जे काश्त के आगे से आगे बेचान करने हेतू तुला हुआ हैं तथा गिरवी आदि करने हेतू उतारू है तथा अप्रार्थी प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने हेतु उतारू है जिससे अप्रार्थी–01 ने बिना बंटवाडे केशरसिंह पुत्र जवारसिंह तथाकथित गोदपुत्र प्रभुसिंह का संयुक्त खातेदारी में अपने हिस्से की भूमि को अप्रार्थी संख्या–01 को बेचान की गयी हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर ताफैसला मुल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण के संयुक्त पुश्तैनी खातेदारी भूमि ग्राम नाना तहसील बाली के खसरा नंबर 360, 362, 363, 389, 390 कुल खसरा–05 कुल रकबा 3.14 हैक्टर के सबंध में जबरदस्ती अतिक्रमण करने दखलन्दाजी करने तथा तोड फोड करने गिरवी करने से तथा आगे से आगे बेचान हस्तान्तरण करने से अप्रार्थीगण व उसके प्रतिनिधियो एजेन्टो को रोके जाने का आदेश प्रदान करने तथा अप्रार्थी संख्या–02 को नामान्तरकरण करने से रोके जाने के आदेश पारित किये की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अनिलेखीय साक्ष्य प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि की फसली संवत् 2076 से 2079 की प्रति, बेचान रजिस्ट्री की फोटो प्रति पेश की।

★ प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी संख्या–01 के अधिवक्ता श्री विक्रमसिंह सोलंकी द्वारा पर्याप्त समय/अवसर के जवाब प्रस्तुत नहीं करने से दिनांक 21.06.2022 को वकील प्रार्थीगण श्री हिम्मत धनेरा एवं अप्रार्थी अधिवक्ता श्री विक्रमसिंह सोलंकी की बहस सुनी गई।

पेज लगातार–02

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण सं. Gems No. 2022/185
अगवान सावुलसिंह वगैरा बनाम हेमलता रावल वगैरा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
सपठित आदेश 39 नियम 01, 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

वकील प्रार्थीगण श्री हिम्मत धनेरा ने बहस में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं सह खातेदार केशरसिंह की सह खातेदारी की भूमि रही है। जिस भूमि में प्रार्थीगण 01 से 05 का 1/3 हिस्सा व प्रार्थी संख्या 06 से 08 का 1/3 हिस्सा व 1/3 हिस्सा केशरसिंह का संयुक्त तौर पर दर्ज था। भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति रही है तथा भूमि का पक्षकारो के मध्य विभाजन नहीं हुआ है, तथा मौके पर प्रार्थीगण संख्या 01 से 08 का ही काश्त व कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या–01 ने केशरसिंह के रेकर्ड में दर्ज 1/3 हिस्सा का बेचाननामा प्रार्थीगण की जानकारी के बाले बाले अपने पक्ष में तकमील करवा दिया, जबकि भूमि मौके पर भूमि बंटी हुई नही है तथा न ही केशरसिंह का मौके पर कब्जा है, फिर भी अप्रार्थी संख्या–01 ने बिना विभाजन के ही 1/3 हिस्सा की भूमि केशरसिंह से अपने नाम खरीद कर ली, तथा खरीद के आधार पर रेकर्ड में नाम दर्ज करवाने की तैयारी में है। तथा बिना विभाजन के ही जोर जबरदस्ती प्रार्थीगण के शांतिपुर्ण कब्जो काश्त में दखल कर जबरदस्ती कब्जा करने की फिराक में है, तथा भूमि को ओर आगे से आगे अजनबी लोगों को बेचने की धमकी प्रार्थीगण को दी जा रही है। जिससे अप्रार्थी संख्या–01 को उसकी नाजायज हरकतो से रोकने के लिये बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण रेकर्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक जारी किये जाने की दलील दी गई। अपनी दलीलो के समर्थन में विद्वान् वकील प्रार्थीगण श्री हिम्मत धनेरा द्वारा निम्न कानूनी उद्धहरण पेश किये गयेः–

1. R.R.D. 2002 पेज 31
2. R. R.T. 2004 (1) पेज 607
3. R.R.T. 2004 (1)पेज 611
4. R R.T. 2004(1) पेज 667
5. R.R.D. 1996 पेज 148
6. R.R.D. 1988 पेज 61
7. R R.T. 2016 पेज 1437
8. R R.T. 2018–19(supp.) पेज 497 से 499
9. A.I.R. 2009 (s.c.) पेज 2735

वकील प्रार्थी पक्ष की दलीलो का खण्डन करते हुये अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष श्री विक्रमसिंह सोलंकी ने बहस में दलील दी कि अप्रार्थी संख्या–01 ने रेकर्डेड खातेदार केशरसिंह से उसका निहित 1/3 हिस्सा प्रतिफल राशि अदा कर रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के माध्यम से खरीद किया है, तथा बेचान कर्ता के 1/3 हिस्से पर अप्रार्थी संख्या–01 काबिज हुआ है। तथा बतौर सह खातेदार दर्ज हुआ। प्रार्थीगण विधिक प्रावधानो के तहत सह खातेदार के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कराने के अधिकारी नहीं बनते है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–01 द्वारा दलील दी गई कि प्रार्थीगण द्वारा मात्र अप्रार्थी संख्या–01 को तंग व परेशान करने की नियत से गलत तथ्यो पर वाद बाबत् सार्वकालिक निषेधाज्ञा एवं उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। अप्रार्थी अजनबी क्रेता न होकर सद्भाविक खरीददार होकर सह खातेदार है। प्रार्थीगण ने न तो विभाजन का वाद किया एवं न ही विक्रय विलेख को निरस्त कराये जाने का वाद किया मात्र अप्रार्थी संख्या–01 को परेशान करने की नियत से गलत सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद एवं उक्त अस्थाई निषेधज्ञाा का प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो प्रथम दृष्ट्या मामला अप्रार्थी संख्या–01 के पक्ष में बनने, सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में होने तथा अपुरणीय क्षति का बिन्दु भी अप्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने की दलील दी गई। अपनी दलीलो के समर्थन में विद्वान् वकील अप्रार्थी पक्ष श्री विक्रमसिंह सोलंकी द्वारा निम्न कानूनी उद्धहरण पेश किये गयेः–

1. A.I.R.1978 MP पेज 76
2. A.I.R.1990 (O) MPL J पेज 450
3. **CIVIL APPEAL NO** 1767 OF 2008 [Arising out of SLP (Civil)No. 13852 of 2007] **S.B. SINHA,J:**

तथा इन कानूनी उद्धहरणो में प्रतिपादित सिद्वान्तो के अनुसार प्रथम दृष्ट्या मामला ही प्रार्थीगण के पक्ष में बनना नहीं साबित होने से अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की दलील दी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया एवं उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत् विधि द्वारा स्थापित बिन्दुओ को निम्नानुसार निर्णित किया जाता हैः–

प्रथम दृष्ट्या मामला बननाः–

प्रथम दृष्ट्या मामला बनने के परीक्षण का आधार राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति है। पत्रावली पर पंजिकृत विक्रय विलेख दिनांक 02/05/2022 की प्रति के अनुसार ग्राम नाना तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 360, 362, 363, 389, 390 कुल खसरा–05 कुल रकबा 3.14 हैक्टर के 1/3 हिस्सा के खातेदार केशरसिंह दत्तक पुत्र प्रभुसिंहजी जाति पुरोहित निवासी नाना के द्वारा अपना 1/3 हिस्सा प्रतिफल राशि प्राप्त करते हुये खरीदकर्ता श्रीमति हेमलता रावल धर्मपत्नि जगदीश रावल जाति रावल निवासी नाणा को बेचान करना प्रमाणित है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 की प्रति के अनुसार 1/3 हिस्सा में केशरसिंह की जगह पर बतौर सह खातेदार श्रीमति हेमलता रावल दर्ज होना भी प्रमाणित है। इस तथ्य को लेकर दोनो पक्षो में कोई विवाद नहीं है, अर्थात् प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता इस तथ्य को स्वीकार करते है।

पेज लगातार.....03

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण सं. Gems No. 2022/186
अनवान सादुलसिंह वगैरा बनाम हेमलता रावल वगैरा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
सपठित आदेश 39 नियम 01, 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

प्रार्थीगण पक्ष की यह दलील है कि वर्णित भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित कृषि भूमि है, जिसका पक्षकारो में विभाजन नहीं हुआ है, तथा अप्रार्थी संख्या–01 बिना विभाजन के बिना कब्जा प्राप्त किये राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज हो गया है। एवं अब प्रार्थीगण के शांतिपुर्ण कब्जे काश्त में दखल कर मौके से बेदखल कर जबरदस्ती अविभाजित भूमि पर कब्जा करना चाह रहा है, तथा भूमि को आगे और अजनबी व्यक्तियों को बेचने की फिराक में है। अतः अप्रार्थी संख्या–01 की नाजायज हरकतो को रोकने के लिये धारा 212 के अस्थाई निषेधाज्ञा के द्वारा रोका जावे। चूँकि प्रार्थी संख्या–01 रेकर्ड में 1/3 हिस्सा का सह खातेदार है। रिकार्डेड सह खातेदार को अजनबी क्रेता की संज्ञा नहीं दी जा सकती। विधि के प्रावधानो अनुसार रेकर्डेड खातेदार का मौके पर कब्जा भी माना जाता है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थी संख्या–01 के पक्ष में बनता है। प्रार्थीगण को चाहिये था कि वे विभाजन का वाद प्रस्तुत करते। परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं करके मात्र सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद व उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण जब तक विक्रय विलेख को शून्य घोषित नहीं करा देते तब तक धारा 212 आर.टी.एक्ट. के तहत किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं रहते है। वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में दर्ज सह खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई आज्ञाप्ति जारी नहीं की जा सकती। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कानूनी उद्धहरण भी हस्तगत प्रकरण की परिस्थितियों से मेल नहीं खाती है। जिससे उक्त बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध एवं अप्रार्थी संख्या–01 के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. सुविधा का सन्तुलनः–

बिन्दु संख्या–01 में किये गये विवेचन के अनुसार ग्राम नाना तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 360, 362, 363, 389, 390 कुल खसरा–05 कुल रकबा 3.14 हैक्टर में वर्तमान में बतौर सह खातेदार अप्रार्थी संख्या–01 दर्ज हैं। प्रार्थीगण के आवेदन अनुसार अप्रार्थी पक्ष के विरूद्ध यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे अप्रार्थी पक्ष को वादग्रस्त भूमि में निहित अपने 1/3 हिस्से के उपयोग उपभोग से वंचित होना पडेगा। इसके विपरित यदि अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तो प्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपने 2/3 हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करेगे तथा अप्रार्थी भी अपने 1/3 हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करेगा। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने पर प्रार्थीगण को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। प्रार्थना पत्र खारिज होने की दशा में प्रार्थी पक्ष का वाद विचाराधीन रहेगा, जिस वाद में यदि शहादत इत्यादि के माध्यम से प्रार्थीगण के पक्ष में वाद साबित हो जाता है तो उन्हे चाहा गया अनतोष प्राप्त हो जावेगा। उक्त विवेचन से सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थी संख्या–01 के पक्ष में होने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध व अप्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

3. अपुरणीय क्षति का मामलाः–

बिन्दु संख्या–01 में किये गये विवेचन के अनुसार प्रार्थना पत्र में उल्लेखित ग्राम नाना तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 360, 362, 363, 389, 390 कुल खसरा–05 कुल रकबा 3.14 हैक्टर में 2/3 हिस्सा के खातेदार प्रार्थी पक्ष व 1/3 हिस्सा का खातेदार अप्रार्थी संख्या–01 है। प्रार्थीगण द्वारा सार्वकालिक निषेधाज्ञा के वाद के विचारण रहते हुये अधिकार अभिलेखों में दर्ज 1/3 हिस्सा के सह खातेदार अप्रार्थी संख्या–01 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की गई है। जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थी के पक्ष में निर्णित हुये है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु विधि द्वारा स्थापित प्रथम बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला ही जब प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है, ऐसी स्थिति में यदि प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तो प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपुरणीय क्षति नहीं होगी। इसके विपरित यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं तो अप्रार्थी संख्या–01 को अपने खातेदारी हक हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित होना पडेगा। जिससे अप्रार्थी संख्या–01 को अपुरणीय क्षति होना संभाव्य है। जिससे उक्त बिन्दु भी अप्रार्थी के पक्ष में तथा प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

–:: आदेश ::–

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु विधि द्वारा स्थापित तीनो बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित होने से प्रार्थीगण द्वारा ग्राम नाना तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 360, 362, 363, 389, 390 कुल खसरा–05 कुल रकबा 3.14 हैक्टर के 1/3 हिस्सा के खातेदार अप्रार्थी संख्या–01 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 01, 02 सपठित धारा 151 सी.सी. बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा एतद् द्वारा खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर मूल राजस्व वाद संख्या 2022/ बअनवान सादुलसिंह वगैरा बनाम हेमलता वगैरा के संलग्न होकर संख्या से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

आदेश आज दिनांक 11-07-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलेक्टर एवं
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner